

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/7809 /दो-15-14/24

जबलपुर, दिनांक 12/11/2024

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा0क.1127/21-ब(एक)/2024, दिनांक 15.03.2024 (अंतिम नियम), सुविधा-8 उच्च अर्हता भत्ता की कंडिका-5 के आलोक में श्री नवीन पाराशर, ओ0एस0डी0, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर (यूनिक इम्पलाई कोड नंबर 270006235) द्वारा एलएल0एम0(किमिनल लॉ) की उपाधि धारण किये जाने के फलस्वरूप उन्हें 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ दिनांक 08.08.2024 से निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 02 के अनुसार स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 08.08.2024 को एलएल0एम0 की उपाधि अर्जित करने के पूर्व एण्ट्री वेतनमान रूपये 144840-194660/- (जे-5) में प्राप्त वेतन तथा वेतनवृद्धि का दिनांक	एण्ट्री वेतनमान रूपये 144840-194660/- (जे-5) में दिनांक 08.08.2024 को एलएल0एम0 की 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों स्वीकृत करने पर निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.
172960 /- 21.05.2024	172960 + * 16030 (PP) = 188990/- (* 03 Advance Increment for LL.M.)	08.08.2024

नोट :- आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 21.05.2025 होगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,



(रविशंकर डेकाटे)

ओ0एस0डी0(लेखा)

जबलपुर, दिनांक 12/11/2024

पृ. क्रमांक C/7810 /दो-15-14/24
प्रतिलिपि:-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. रजिस्ट्रार(एम)/असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा/पेंशन)/सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री नवीन पाराशर, ओ0एस0डी0, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठानकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायब्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।



ओ0एस0डी0(लेखा)